

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

बड़जलारा :- श्री अमिषेक सुशाना आई.ए.एस.(प्रशिक्ष)

राजस्व वाद सं. 59/2018

अनवान :-

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

.....वादी

बनाम

कमला पत्नि देवप्रकाश जाति पालीवाल निवासी चानी

.....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित अभिभाषकमण :-

1. पेशेकारराज वादी राज्य के लिये।
2. इक्तरफा कार्यवाही प्रतिवादीमण के लिए

-: निर्णय :-

दिनांक :- 27.02.2020

27.02.2020 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र भवशी देवी अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुवे अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम चक चानी के खसरा नम्बर 142 रकबा 1.00 हैक्टर प्रतिवादीमण श्रीमती कमला पत्नि देवप्रकाश जाति पालीवाल निवासी चानी की खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का अक्कारार एवं भूअभिलेख गजनेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ख.न. 142 में अवैध ईट भट्टा स्थापित बिना राक्षम स्वीकृत के किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व नजरी नक्शा सलंग्न है।
3. यह है कि प्रतिवादीमण के द्वारा स्थापति किये गये अवैध ईट भट्टे के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त ख. न. 142 के मूल स्वरूप परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादीमण के विरुद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीमण को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिनियम रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावें।
4. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही ग्राम चानी के खसरा नम्बर 142 रकबा 1.00 हैक्टर में बिना राक्षम अधिकारी स्वीकृति के अवैध ईट भट्टा स्थापित कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद पत्र को स्वीकार किया जावें। उक्त खसरा नम्बर 142 कड कुल तादादी 1.00 हैक्टर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए अप्रार्थी को बेदखल करने के आदेश के साथ खातेदारी अधिकारी समाप्त किये जाने हेतु निवेदन है।

नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादी बावजुद तामील के अनुपस्थित रहे। लगातार दिनांक 19.04.2018 से पत्रावली जवाब में जैरकार रही। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 19.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। एकतरफा बहस समायत की गयी।


उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

परिणामस्वरूप नाद वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न प्रकार सादिर की जाती है -

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम चक चानी के खसरा नम्बर 142 रकबा 1.00 हेक्टर जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी सन्त 2073-2076 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा इसमें प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है।
2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है।
3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुरतीब किया जावे। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(अभिषेक सुराणा)

आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-दोकानेर

112
6/2/2020

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(अभिषेक सुराणा)

आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-दोकानेर
कोलायत